Add New cases in this court

XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला–जबलपुर

प्रकरण कमांक अपील 2032–एक/01

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–8–15 कैम्प जबलपुर	यह प्रकरण दिनांक 19–7–11 को इस न्यायालय में दायर किया गया है तब से लेकर आज तक आवेदक की ओर से कई बार नोटिस देने के बाद भी कोई उप. नहीं हो रहा है । प्रकरण आदेशार्थ । सदस्य	
1–9–15	प्रकरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं हैं । अतः आवेदक की रूचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय समक्ष श्रीमान बोर्ड ऑफ रेवन्यू ग्वालियर म0 प्र0

अपील0क0........../11

A - 2032 - I / 2011

श्री .... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार 2152
15 SEP 2011
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

1. मंगोवाई बेवा संतू बर्मन
2. मुन्नालाल पिता संतू वर्मन
3. रित्तू पिता संतू बर्मन

समस्त निवासी बिजना मगरमुंहा तह0 शहपुरा जिला जवलपुर .....**अपीलार्थीग**

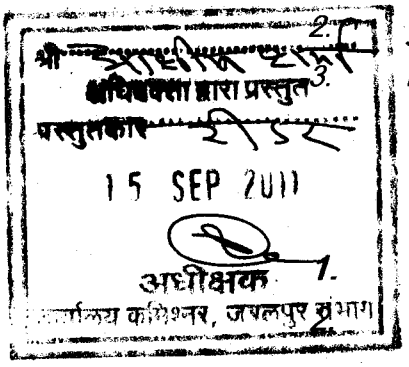

बनाम

1. नंदलाल पिता पटटीलाल बर्मन
2. रामगोपाल पिता कंधीलाल बर्मन

दोनो निवासी बिजना मगरमुंहा तह0 शहपुरा जिला जवलपुर.....**गैरअपीलार्थीग**

(128)

<u>अपील अंतर्गत धारा 44 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता</u>

<u>अपीलार्थीगण निम्न न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर संभाग जवलपुर के रा0प्र0. 278अ27/06–07 नंदलाल बनाम मंगोवाई में पारित आदेश दिनांक 19.07.2011 से क्षु एवं दुखित होकर निम्न तथ्य एवं आधारो पर अपील प्रस्तुत करते है।।</u>

आजी. कमि. जबलपुर
से आज दि 29.11.11
जबलपुर वि. ग्वा. पर प्राप्त
29.11.11

<u>तथ्य</u>

(1) यह कि गैरअपीलार्थी क 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय के प्रक 30अ27/04–05 में पारित आदेश दिनांक 27.11.06 के खिलाफ निम्न न्यायालय अपील प्रस्तुत की थी तथा उसमें यह आधार लिया था कि विवादित जमीन पैतृक तथा अपीलार्थी का नामांत्रण भी पटवारी एवं राजस्व अधिकारी द्वारा नही किया गया वटवारा मात्र राजस्व अभिलेख द्वारा किया गया है इसलिए निम्न न्यायालय का आ निरस्त किया जावे ।।

(2) यह कि गैरअपीलार्थी नंदलाल द्वारा यह भी उल्लेख किया गया था कि अपील गणों के पिता संतू को स्व. श्री हीरालाल की पत्नि स्व. जीरावाई द्वारा एक वसीयतन दिनांक 09.01.72 को निस्पादित किया था जिसमें रामगोपाल एवं संतू ने अपने हक्क हिस्से की जमीन ख.न. 714/2,, 805, 893, 894, 940, 941, रकवा कमशः 0.15,, 0. 0.23, 3.50, 1.91, 1.68, कुल रकवा 8.16 एकड जमीन दी थी, तथा अपीलार्थी गण अपने हिस्से की जमीन बैच दी है संतू के हिस्से एवं स्वामित्व में अब कोई जमीन ब नही है और उत्तराधिकारी होने के नाते अपीलार्थी गणों को अब कोई जमीन प्र नही की जा सकती इस संवंध में अनेको आदेशों का उल्लेख भी उसकें द्वारा दि गया था उपरोक्त प्रकरण में गैरअपीलार्थी गणों को विधिवत नोटिश नही दिया गय ही सुनवाई का अवसर दिया गया और आदेश पारित कर दिया गया है कि अ स्वीकार कर प्रकरण पुनः पुनः विचार उपरांत समुचित आदेश पारित करने हेतु प्रक प्रत्यावर्तित किया जाता है उपरोक्त आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है त्रुटिपूर्ण तथा निरस्त किये जाने योग्य है।।